

पत्रांक  
सेवा में

505(2)/03सी0

दिनांक: 30/05/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग,  
कोटद्वार।

**विषय:-** जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0 एच0 119/534 कि0मी0 139.00 से 196.00 कोटद्वार सतपुली के (सेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि0मी0 156.00 से 196.00) तक दो लेन सडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे0 (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून का पत्रांक संख्या -2318/12-1, देहरादून दिनांक-10.05.2024,

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0 एच0 119/534 कि0मी0 139.00 से 196.00 कोटद्वार सतपुली के (सेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि0मी0 156.00 से 196.00) तक दो लेन सडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे0 (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0सं0	सैधान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तें	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-1</b>
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-2</b>
3	<b>प्रतिपूरक वनीकरण:</b>	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 48.00 है0 अवनत वन भूमि पौड़ी रेंज में अदवानी कक्ष संख्या0 6अ व 6ब , 7 एवं 8 तथा पूर्वी अमोली कक्ष संख्या 25 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक ब्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
ख	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-3</b>
ग	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षों तक अनुर्क्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। <b>संलग्न-4</b>
5	<b>शुद्ध वर्तमान मूल्य</b>	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। <b>संलग्न-4</b>
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपतपत्र प्रस्तुत करेगा।	'बचनबद्धता प्रमाण पत्र' संलग्न है। <b>संलग्न-5</b>
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 6370 पेड़ और 2375 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-6</b>
7	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर0ओ0डब्ल्यू0 में आने वाले कुल पेड़ों में से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-7</b>

**A**

8	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्यों के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा। <b>संलग्न-8</b>
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in">https://parivesh-nic-in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-9</b>
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। <b>(संलग्न-10)</b>
11	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-11</b>
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	उच्च स्तर से अपेक्षित है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-12</b>
15	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-13</b>
16	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-14</b>
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-15</b>
18	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-16</b>
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-17</b>
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-18</b>
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-19</b>
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कवाई होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-20</b>
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-21</b>
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-22</b>
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-23</b>
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in">https://parivesh-nic-in</a> ) पर अपलोड की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। <b>संलग्न-24</b>

अतः उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रोतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्न:-उपरोक्तानुसार।**

**अधिकाक्षी अभियन्ता**  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
धुमाकोट-पौड़ी

**पत्रांक- / दिनांकित।**

**प्रतिलिपि-** वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि-** सहायक अभियन्ता, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 धूमाकोट-पौड़ी गढवाल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


**अधिकाक्षी अभियन्ता**  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
धुमाकोट-पौड़ी


संलग्न- 1

परियोजना का नाम:- जंनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगडा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेसित


  
प्रभागीय वनाधिष्णरी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशासी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

प्रमाण पत्र मूल में अश्लेषित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

ENG-2


संख्या-03

## प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम- जनपद पीड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजमार्ग सं० एन०एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 198.00 कोटद्वार सातपुली के (रोकना देवलखाल से सातपुली के कि०मी० 166.00 से 198.00) तक दो लेन सहक पीड़ीकरण हेतु 420/6 हे० का भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग स्वयं लोकाविविध को प्रस्तावित के सम्बन्ध में।

### "क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में आख्या वन क्षेत्राधिकारियों से मांगी गई। वन क्षेत्राधिकारी, पीड़ी रेंज, नागदेव की जांच आख्या पत्रांक 1313/12-1, दिनांक 08-04-2024 के द्वारा अदवानी क०सं० 6ए के 3.00 हे०, अदवानी क०सं० 6बी के 4.00 हे०, अदवानी क०सं० 7 के 6.00 हे०, अदवानी क०सं० 8 के 5.00 हे०, सिगड्ड क०सं० 2 के 7.00 हे० सिगड्ड क०सं० 1 के 1.00 हे० योग 33.00 हे० तथा वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैण की जांच आख्या पत्रांक 629/12-1, दिनांक 20-04-2024 के अनुसार पणजीखाल क०सं० 25 के 5.00 हे० एवं वन क्षेत्राधिकारी, दीवा रेंज, घुमाकोट की जांच आख्या पत्रांक 455/12-1, दिनांक 30-03-2024 के अनुसार दीवा III क०सं० 2 के 10.00 हे० इस प्रकार तीनों रेंजों के अन्तर्गत कुल योग 48.00 हे० चयनित क्षेत्र में पूर्व में किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
R गढ़वाल वन प्रभाग, पीड़ी।

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▼ Help

no. Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN- PRINCIPLE Paid	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/UK/ROAD/45326/2020 (./Newreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/45326/2020) Kotdwara-Satpuli-Jwalpa-Srinagar section (from Km 139.000 to 276.000) of NH -119 in the state of Ultrakanand Section Form Km 139.000 to 196.600	ROAD453262020209614532620923	PRINCIPLE Paid	23 Nov 2023	CA: 21541968/- Addtl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Addtl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 23589263/- Other Charges: 10/- Other Charges: 20/- Other Charges: 30/- Total: 45131231/-	PAID	Fund Demand Verified by: 11 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 07 Mar 2024 Transaction Date: 17 Jan 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/090120241544155841_FP/UK/ROAD/453262020_User_Fund_Demanded_491M7.px Generated Challan (./UserAccount/Nett_Challan.aspx?pid=ROAD453262020209)



SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



INDIA.GOV.IN (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)




MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)


Power To Empower  
Data Government 2020-2024

पर्याजना का नाम:- जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगडा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। २१८७७ - ०१

प्रमाणित किया जाता है, कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशासक अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।


सलमन-6

परियोजना का नाम:- जगपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (शिवशान दुगण्डा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 6370 पेड़ और 2375 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।




रेयोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (रेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आर०ओ०डब्ल्यू० में आने वाले कुल पेडे में से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेडो की कटाई कम से कम की जायेगी।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रोसित


  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशासी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगडा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। सुलभ-8

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपके कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

प्रमाण पत्र मूल में असेसित


  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगडा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल e (<https://parivesh-nic-in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

प्रमाण पत्र मूल में अद्येसित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

From-I

(For linear projects)

Government of India office of the District Collector Pauri Garhwal

No. संख्या - 93/ 8-फवो डू आ - (2019-20) दिनांक 15/10/2019  
 Date 15/10/2019

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No 119/98-FC(pt) dated 3-August 2009 wherein the MoEF Issued Guidelines on submission of Evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act,2006 ('FRA', for Short) on the Forest land Proposed to be diverted for non -forest purposes read with MoEF's Letter Dated 5- February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is Certified that 42.076 of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Division Dhumakot for National Highway Kotdwara to Satpuli road in Pauri Garhwal District.

It is Further Certified that :

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been Carried out for the entire 42.07 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forests Rights committee (s), Gram Sabha (s) sub division level Committee and the district level Committee are enclosed as annexure
- b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it ;
- c. The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl: As above.

  
 (Sh. D.S. Garhiyal)


(District Collector, Pauri Garhwal)


जिलाधिकारी  
 गढ़वाल

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

संलग्न-12


परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (रोक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित



प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्डरडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।




अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।


परियोजना का नाम:- जनपद चौडी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (रेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन राडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

अनुक्रम-13

प्रमाणित किया जाता है, कि केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अशेषित


  
प्रशासीय वनाधिकारी,  
लैन्डाउन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगडा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। 14/11/14 -14

प्रमाणित किया जाता है, कि वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।




परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से रातपुली के (सेक्शन दुगड़ा से रातपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

संलग्न-15

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

प्रमाण पत्र गूल में अंग्रेसित


  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (रेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। १५/११/२०१६

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।

प्रमाण पत्र मूल में अशेषित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

  
अधिशारम्भ अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० ११९/५३४ कि०मी० १३९.०० से १९६.०० कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि०मी० १५६.०० से १९६.००) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु २३.४६७ हे० (पूर्व में ४२.०७६) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अंगोसित



प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।





अधिशारा अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। मूल्य-18

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित


  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

दुगडा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। <sup>खण्ड-19</sup>

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित


  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशासी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। संलग्न-20

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर करवाई होगी।

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित


  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

रियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड्डा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। संलग्न-२१

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अंग्रेजित


  
प्रभागीय वन अधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो०नि०वि० घुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग स्रण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। संलग्न-२२

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा विस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का विस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा विस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग स्रण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।





संलग्न-२३

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन० एच० 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेवशन दुगड़ा से सतपुली के कि०मी० 156.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 23.467 हे० (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग सण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

प्रमाण पत्र मूल में अवेसित


  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।


  
अधिशारी/अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग सण्ड,  
लो०नि०वि० धुमाकोट।

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0 एच0 119/534 कि0मी0 139.00 से 196.00 कोटद्वार से सतपुली के (सेक्शन दुगडडा से सतपुली के कि0मी0 156.00 से 196.00) तक दो लेन सडक चौडीकरण हेतु 23.467 हे0 (पूर्व में 42.076) वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in>) पर अपलोड की जायेगी।

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

  
अधिशारी अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,  
लो0नि0वि0 धुमाकोट।